

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 754] No. 754] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 982(अ).—यत: दिल्ली मास्टर प्लान-2021/जोन 'क' (चाहर दीवारी शहर) की क्षेत्रीय विकास योजना में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.11.2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 2886(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 जोन-क (चाहर दीवारी शहर) की क्षेत्रीय विकास योजना संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021/जोन-क (चाहर दीवारी शहर) की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1634 GI/2015 (1)

संशोधन:

जोन 'ए' (चाहर दीवारी शहर) में दंगल मैदान के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (दि.मु.यो- 2021)	भू- उपयोग निम्न में परिवर्तन किया जाना है	सीमाएं
चाहर दीवारी शहर में दंगल मैदान	1.80 एकड्	'मनोरंजनात्मक ' (उद्यान/खुला स्थान)	'परिवहन' (बहु स्तरीय पार्किंग)	उत्तर: एस.पी.एम मार्ग दक्षिण: सड़क पूर्व: सड़क पश्चिम : सड़क

शर्तें :

- बहु मंजिली पार्किंग के निम्न तल/भूतल का उपयोग अनिवार्य रूप से बस क्यू शेल्टर, बस कक्ष और सार्वजनिक परिवहन से संबंधित सहायक गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
- ii. उत्तरी दिल्ली नगर निगम विरासत संरक्षण समिति से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा क्योंकि यह स्थल टाउन हाल (विरासत भवन) से अत्यंत नजदीक है ।
- iii. एमपीडी-2021 के अनुसार बहुमंजिला पार्किंग के विकास नियंत्रक मानदण्ड इस प्लाट के लिए लागू होंगे।

[फा. सं. के-13011/34/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

- **S.O.** 982(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-'A' (Walled City) which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 2886(E) dated 13.11.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by subsection (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-A (Walled City).
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-A with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of following area at Dangal Maidan in Zone-A (Walled City) is changed as per description below:

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land use change to	Boundaries
Dangal Maidan in Walled City	1.80 acres	'Recreational' (Park/Open Space)	'Transportation' (Multi Level Parking)	North - SPM Marg South - Road East - Road West - Road

Conditions:

- i. Lower level/ground level of multi level parking will compulsorily be used for bus queue shelter bus bays and public transport related supporting activities.
- ii. North Delhi Municipal Corporation will take necessary NOC from Heritage Conservation Committee since the site is in close proximity of Town Hall (Heritage Building).
- iii. The Development Control Norms of multi level parking as per MPD-2021 will be applicable to this plot.

[F. No. K-13011/34/2014-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.